

आवंटनादेश

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना ।

पटना, दिनांक:- 18-9-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3542 दिनांक- 25.5.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर (दिनांक 17.9.2018 को) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अधिवेशन भवन में कार्यशाला, सेमिनार, सिम्पोजियम का आयोजन करने हेतु विषयशीर्ष- 0101.20.02 कॉन्फेन्स, कार्यशाला, सेमिनार से कुल ₹ 24,970/- (₹ चौबीस हजार नौ सौ सत्तर) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी.भी. नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे ।
6. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
7. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,
18/9/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-306/2018 श्र0सं0-

87

पटना, दिनांक

18-9-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

18/9/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-306/2018 श्र0सं0-

87

पटना, दिनांक

18-9-18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-5, श्रम पक्ष/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-05) द्वारा किया जायेगा ।

18/9/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।